डा॰ जगन्नाथ मिश्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डा॰ जगन्नाथ मिश्र सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासक, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ, डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में 1960 में जीवन आरंभ करके अन्ततः अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय आचार्य पद पर आसीन हुए। उन्होंने शिक्षाः बलुआ बाजार माध्यमिक विद्यालय (सुपौल बिहार) से, बी॰ए॰ (ऑनर्स), टी॰एन॰बी॰ कॉलेज (भागलपुर) से, एम॰ए॰ (अर्थशास्त्र) एल॰एस॰ कॉलेज (मुजफ्फरपुर) से करने के बाद पीएच॰डी (पब्लिक फिनान्स) की उपाधि बिहार विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे बिहार के हितों के लिए संघर्ष करनेवाले नेता के रूप में ख्यातिप्राप्त हैं, बिनोवा भावे द्वारा चलाये गये भूदान आन्दोलन में उन्होंने 1953 से 60 ई॰ तक सक्रियता से भागीदारी की और अपनी अधिकांश जमीन भूमिहीनों में बांट दी। भूमिहीनों को बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में ये तत्पर रहे।

(1) 1953 ई॰ में बलुआ बाजार सुपौल जिला से माध्यमिक परीक्षा देने के बाद सिंहभूम जिला के चाण्डिल में सर्वसेवा संघ के वार्षिक आयोजन में आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान—आन्दोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश किया। (2) भागलपुर के टी॰एन॰बी॰ कॉलेज में छात्र सर्वोदय परिषद् का गठन किया जिसके वार्षिक सम्मेलन को प्रतिवर्ष लोकनायक जयप्रकाष नारायण सम्बोधित करते रहे। वहीं उनके सर्वोदयी जीवन की षुरूआत हुई। (3) भूदान आन्दोलन के क्रम में पूरे राज्य का दौरा पाँव—पैदल संत बिनोवा भावे के साथ किया। (4) संत विनोबा भावे के भ्रमण के क्रम में उन्होंने अपने परिवार से हजार एकड़ जमीन भूदान आन्दोलन को दान में दिलायी। (5) भूमि हदबंदी कानून के अन्तर्गत अपनी अधिषेष भूमि बिहार राज्य सरकार को सौंप दी। (6) परिवार का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। इनके पिता पण्डित रविनन्दन मिश्र समस्त कोषी क्षेत्र के वरद पुत्र थे। उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म एवं पालन—पोषण होने के बावजूद उन्हें सामन्ती प्रवृत्ति छू तक नहीं सकी थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सहज, सरल एवं निर्मल था। पं॰ रविनन्दन मिश्रजी के उच्चादर्षों और समाजसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय भावना से ओत—प्रोत संस्कारों के फलस्वरूप ही उनके परिवार को राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली। पं॰ रविनन्दन बाबू के भ्रातृ पुत्र पं॰ राजेन्द्र मिश्र, महात्मा गाँधी के आह्वान पर कलकत्ता विष्वविद्यालय की अपनी पढ़ाई को तिलांजलि देकर 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े। यह वह समय था जब महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा था। राजा बाबू सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। **पं॰ रविनन्दन बाबू की राष्ट्र भक्ति और राजा बाबू की राजनैतिक सक्रियता के प्रभाव में बलुआ तथा बसानपट्टी के मिश्र परिवार के अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। राजा बाबू और ललित बाबू को कई बार जेल जाना पड़ा। पूरे परिवार को पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई का सहन करना पड़ा। देष में इनका ऐसा परिवार है जिसके 11 (ग्यारह) सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में जेल और अन्य यातनाएँ झेलीं।** उनका ही ऐसा परिवार है जिसे सौभाग्य प्राप्त है कि 1926 से लगातार अबतक परिवार का कोई न कोई सदस्य बिहार विधान मंडल और भारतीय संसद् के सदस्य बने रहे हैं। दो सदस्य केन्द्र सरकार में मंत्री, एक मुख्यमंत्री और तीन राज्य सरकार में मंत्री बने। इनके परिवार के पं॰ राजेन्द्र मिश्र और डा॰ मिश्र बिहार प्रदेष कांग्रेस कमिटी के दो—दो बार अध्यक्ष बने। (7) वे 1966 से बिहार विष्वविद्यालय के सिंडिकेट और सिनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जे॰एन॰यू॰ के कोर्ट में भी दो बार सदस्य चुने गये। 1968 में पहलीबार मुजफ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति के ऐतिहासिक चुनाव में ललित बाबू के सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में बिहार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिहार विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में पहलीबार श्री केदार पाण्डेय की सरकार में मंत्री बने। श्री अब्दुल गफूर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री नियुक्त हुए। 8

अप्रैल, 1975 को बिहार के पहलीबार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 30 अप्रैल, 1977 तक उस पद पर बने रहे। 8 जून, 1980 को बिहार के दूसरीबार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पद पर वे 13 अगस्त, 1983 तक बने रहे। तीसरीबार वे 6 दिसम्बर, 1989 को मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पर वे 10 मार्च, 1990 तक बने रहे। मार्च, 1989 में वे बिहार प्रदेष कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए दुबारा वे अप्रैल, 1992 में बिहार प्रदेष कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ कांग्रेस विभाजन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। 1978 में बिहार विधान सभा में पहलीबार प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। दूसरीबार मार्च, 1990 में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। 1988 के अप्रैल में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दूसरीबार अप्रैल, 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 10 जून, 1995 को वे श्री पी०वी० नरसिंह राव मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी, 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया जिस पद पर वे 16 मई, 1996 तक बने रहे। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उन्होंने त्रिसूत्री परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत बृद्धावस्था पेंषन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्रमुख की मृत्यु पर 10 हजार अनुकम्पा अनुदान और गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार के लिए दो बच्चों के लिए 500–500 रू० का अनुदान सम्मिलित था। उन्होंने बिहार के सभी 727 प्रखंडों को सुनिष्चित रोजगार योजना में सम्मिलित किया तथा बिहार को प्रतिवर्ष 3 लाख इन्दिरा आवास की स्वीकृति दी। (8) केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 16 कृषि सम्बंधी विषयों पर षोध प्रतिष्ठानों की स्वीकृत करायी। (9) उर्दू भाषा को द्वितीय राज भाषा का दर्जा देने के लिए लखनऊ की **मिर–एकेडमी द्वारा "मिर–ए–उर्दू"** की उपाधि दी गई। (10) उर्दू तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की गई सेवाओं को देखते हुए देष के अनेक राज्यों में अवस्थित अनेक संस्थाओं ने भी अलग–अलग उपाधियां दी हैं। (11) दिल्ली में हुए विष्व उर्दू सम्मेलन में उन्हें मोहसिने उर्दू की उपाधि दी गई। (12) 1982 ई0 में प्रधानमंत्री के विषेष प्रतिनिधि के रूप में मास्को दौरे पर गये। (13) मार्च 1996 में इजिप्ट के कैरो में एफ्रो–एषियन रूरल रिकन्स्ट्रकषन ऑरगेनाजेषन के 12वें महाधिवेषन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। (14) बिहार की काराओं में विचाराधीन कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराया और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवष्यक कार्रवाई के लिए भेजी।

निम्नलिखित षैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की –

(1) 1976 में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना। (2) राज्य में एम०बी०ए० की षिक्षा के लिए ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर की स्थापना। (2) ललित नारायण मिश्र तिरहुत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। (3) बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना। (4) ललित नारायण मिश्र मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा की स्थापना के प्रेरक तत्व रहे। छपरा में जयप्रकाष नारायण, आरा में वीर कुँवर सिंह, हजारीबाग में संत बिनोवा भावे, दुमका, सहरसा (अब मधेपुरा) एवं पटना में मौलाना मजहरूल हक अरबी परसियन विष्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित कराया। लोक भाषा साहित्य के सम्बर्द्धन के उद्देश्य से मैथिली, उर्दू, भोजपूरी, संस्कत, मगही, बंगला अकादमियों के साथ दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान की भी स्थापना की हैं। पटना में इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना के साथ–साथ राज्य में 150 रेफरल अस्तपताल की स्थापना करबायी।

निबंधन लेखन एवं षोध–मार्गदर्षनः

ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में लगभग 40 शोध पत्र लिखे। उनके अधीन उनके निर्देशन में 20 व्यक्तियों ने अर्थशास्त्र विषय में पी.एचडी उपाधि प्राप्त की। अनेक शोधकर्ताओं का मार्ग निर्देशन किया।

ग्रथ लेखन एवं सम्पादन का विवरणः– <u>लिखित एवं सम्पादित प्रकाषित ग्रंथः</u>

(1) सार्वजनिक वित्त (2) मनी,बैंकिंग एण्ड इंटरनेशनल (3) लैंड रिपफार्मस इन बिहार (4) एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन बिहार (5) इंडस्ट्रीयल फाइनेंसिंग इन बिहार (6) आर्थिक सिद्धांत एवं व्यावसायिक संगठन। (7)ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरल फिनान्स (8) कॉपरेटिव बैंकिंग इन बिहार (9) दिशा संकेत। (10) इंडियाज इकोनामिक डेवलपमेंट (11) फिनांसिंग ऑफ स्टेट प्लान्स (12)भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृत्तियाँ (13) प्लानिंग एण्ड रिजनल डेवलपमेंट इन इन्डिया (14)न्यू डायमेंसन्स ऑफ फेडरल फिनान्स (15) बिहार की पीड़ा से जुड़िये। (16) माई विजन फॉर इंडियाज रूरल डेवलपमेंट (17) भारतीय संघ की वित्तीय प्रवृत्तियाँ। (18) चिन्तन के आयाम (19) बिहारः विकास और संघर्ष (20) समग्र विकासःएक सोच (21) ए क्रिटिक ऑफ द इकॉनामिक्स ऑफ कीइन्स एण्ड पोस्ट कीइन्स थ्योरी (22) बिहार बढ़कर रहेगा एवं (23) लेबर इकॉनामिक्स।

<u>विषेष अभिरूचिः</u> (1) गरीबी रेखा से नीचे बसर करनेवालों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा चलाये गये षोध एवं विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की।

उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एवं केन्द्रीय मंत्री के रूप में बिहार राज्य और देश के लिए मानवाधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गो के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर दलितों, पिछड़ों, महिला, बच्चों, सभी श्रेणी के किसानों के कल्याणार्थ कार्यक्रम लागू किया, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनेक कार्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ता कल्याण कोष, रिक्सा चालक, रिक्शा स्वामित्व एवं अन्य कल्याण कार्य, कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता अधिनियम, 45000 चौकीदार–दफादार को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, खेतीहर मजदूरों को निम्नतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रथमबार प्रशासनिक तंत्र का गठन, बिहार में प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गगत अनेक उद्योगों की स्थापना, पहलीबार अत्यंत पिछड़ी जाति की 1976 में पहचान एवं उन्हें विशेष सुविधा देना, अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को दलित छात्रों की तरह सुविधा, जिला बोर्ड एवं जिला परिषद में अत्यंत पिछड़े एवं दलित का मनोयन 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज की शुरूआत, 1976 में विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश में पहलीबार आदिवासी एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना। औद्यौगिक मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम चलाया। पहलीबार श्रम नीति निर्धारित की 23 लाख बूढ़ों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 3 लाख पढ़े लिखे युवकों को बेरोजगारी भत्ता, 80 हजार रिक्शा चालक को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित हुआ, 2.50 लाख एकड़ जमीन अर्जित की गयी और भूमि सुधार के अधिनियम में अनेक संशोधन किये गये, भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन देने, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा एवं कल्याण की अनेक योजनाओं के साथ–साथ औद्यौगिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कराकर बिहार राज्य में सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन की सम्भावनाएं बनाईं जिससे भारत के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त 'मानवाधिकार' और मूल अधिकार आम लोगों को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। जैसे सहकारिता आन्दोलन से दलितों एवं आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इन्हें सहकारिता का सदस्य बनाने के लिए 10 रूपया हिस्सा पूंजी सरकार की ओर से दी जाने लगी और सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किये गये।

सभी श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया। इसके फलस्वरूप 1982–83 में 2.50 लाख निजी नलकूप बैठाए गए। 4000 से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। सभी श्रेणी के किसानों का बकाया सिंचाई–शुल्क माफ कर दिया गया और सिंचाई शुल्क स्थायी रूप से माफ कर दिया गया। 10 एकड़ तक जोतदार किसानों के लिए बिजली–शुल्क माफ कर दिया गया था। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून को सख्ती से लागू करने की जिला एवं प्रखंड के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृति नीति अधिनियम के अनुरूप राज्य में 11 लाख परिवारों को पर्चा उपलब्ध कराया गया। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृत अधिनियमों के अंतर्गत आवासी भूमि से विहीन परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध तरीके से 3 डीसमील आवास की भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ।

54000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण एवं 39 संस्कृत महाविद्यालय का अंगीभूतीकरण, संस्कृत, मदरसा को सरकारी शिक्षकों की भांति वेतन एवं सुविधा 1600 संस्कृत विद्यालयों एवं 1100 मदरसा को वित्त सहित मान्यता दी गई। 3776 संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। 2995 मदरसा को मान्यता दी गई। मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के षिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ता स्वीकृत किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा के साथ 1000 उर्दू अनुवादक की नियुक्ति उर्दू टाइप राइटर की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष 4000 उर्दू शिक्षक की नियुक्ति, उर्दू विकास निदेशालय, उर्दू एकेडेमी को एक करोड़ का अनुदान 10 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना। विष्वविद्यालय महाविद्यालयों में रीडर एवं प्रोफेसर की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान कर 8 हजार से अधिक शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की गयी। पहलीबार आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण आयुक्त की नियुक्ति के साथ प्रत्येक विभाग में आरक्षण समिति का गठन।

डा॰ मिश्र के कार्यकाल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यू॰जी॰सी॰ की स्वीकृति के लिए अपेक्षित 2 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए। (2) उनके षासनकाल में ही भवन एवं जमीन के अभाव की पूर्त्ति 1976 ई॰ में दरभंगा राज की भूमि एवं भवन का अधिग्रहण विशेष व्यवस्था के आधार पर किया गया जिसके फलस्वरूप दरभंगा राज के अखबारों का कोप भाजन बनना पड़ा। (3) संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान सहित प्रोफेसर एवं रीडर का प्रावधान किया गया। (4) मदरसा की डिग्री को अन्य विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की डिग्री के समकक्ष बनाकर सरकारी सेवा के लिए उसे मान्य बनाया गया। (5) कमजोर एवं गरीब लोगों, विधवा एवं बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानून बना। (6) अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना और अधिवक्ता पुस्तकालयों के लिए विशेष अनुदान। (7) पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना। (8) विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यू॰जी॰सी॰ वेतनमान एवं सरकारी कर्मचारी के लिए केन्द्रीय वेतन लागू करने संबंधी नीति निर्धारण। (9) प्रत्येक जिला में एक उद्योग की स्थापना की स्वीकृति और 37 औद्योगिक प्रांगण की स्वीकृति के साथ–साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना के साथ प्रेरणादायक औद्योगिक नीति। अनेक निगम, बोर्ड और अनेक सार्वजनिक कंपनियों का गठन महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्ग की स्थिति एवं सरकारी सेवाओं में संख्या की जाँच के लिए मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में 1971 में एक आयोग का गठन हुआ था जिसका प्रतिवेदन डा॰ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में दिनांक 26 दिसम्बर, 1976 को प्रस्तुत हुआ उसे कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृति

प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद् में संलेख उपस्थापित करने का निर्णय हुआ। 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होने के कारण आरक्षण लागू नहीं किया जा सका। नेता प्रतिपक्ष के रुप में डा॰ मिश्र ने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति का खुलकर समर्थन किया। राज्य में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन को समाप्त करने एवं इस पर सर्वानुमति बनाने हेतु सर्वदलीय बैठक में डा॰ मिश्र के (आरक्षण का) समर्थन से सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनी। बैठक में दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में ही श्री ठाकुर ने आरक्षण नीति बनाई एवं इसकी अधिसूचना 10 नवम्बर, 1978 को जारी की। आरक्षण लागू करने के कारण ही श्री ठाकुर को जनता पार्टी ने बहुमत से मुख्यमंत्री से हटाया। उस समय डा॰ मिश्र ने विपक्ष के नेता के रूप में श्री ठाकुर का समर्थन किया था। 1980 में डा॰ मिश्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद आरक्षण नीति में संशोधन हुआ जिसमें प्रावधान हुआ कि जो पिछड़े लड़के योग्यता के अधिमान में आयेंगे उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। मेधा से आये छात्रों को आरक्षित कोटा से अलग करने से पिछड़ा की संख्या सेवा में बढ़ गई। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डा॰ मिश्र की सरकार ने पहलीबार आरक्षण आयुक्त का पद–सृजन करते हुए यह प्रावधान किया कि सभी विभाग में आरक्षण लागू हो।

डा॰ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही अत्यन्त पिछड़ी जातियों में मदन प्रसाद सिंह (मल्लाह) योगेश प्रसाद योगेश (नोनिया) एवं जगदीश मंडल (केवट) को मंत्रिपरिषद में लिया गया। श्री महेन्द्र सहनी, श्री जगमल चौधरी, युगेश्वर प्रसाद निषाद एवं रामकरण पाल ऐसे अत्यंत पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को विभिन्न बोर्ड–कॉरपोरेषन का अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रेम नारायण गढवाल, योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया एवं अन्य कई व्यक्तियों पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़ी जाति को विधान परिषद् में सदस्य मनोनीत किया गया। डा॰ मिश्र के षासनकाल में पिछड़े वर्गों से डा॰ के॰के॰ मंडल, डा॰ महावीर प्रसाद यादव, डा॰ ए॰एस॰ यादव, डा॰ एच॰एन॰ यादव, डा॰ परमेश्वर दयाल, डा॰ डी॰एस॰ नाग, (दलित) डा॰ ए॰के॰ धान, डा॰ इन्दुधान आदिवासी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित एवं आदिवासी समूह से कुलपति नियुक्त किये गये। उसी तरह डा॰ एम॰क्यू॰ तोहिद, डा॰ फहीम अहमद एवं डा॰ एम॰ए॰ गिलानी जैसे व्यक्ति अल्पसंख्यक समुह से कुलपति नियुक्त किये गये। डा॰ कुमार विमल एवं डा॰ एच॰एन॰ यादव, श्री हसन जैसे अन्य पिछड़े वर्ग और मुसलमान को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक, दलित एवं आदिवासी वर्गों से लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधि के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या बढ़ायी गई। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग, विद्यालय सेवा आयोग जैसी संस्था में इन वर्गों को निरंतर प्रतिनिधित्व दिया गया। डा॰ मिश्र की सरकार के द्वारा 1980–81 के बजट में प्रावधान हुआ कि पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों, दलित एवं आदिवासी छात्रों को मिल रही, छात्रवृत्ति की संख्या 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख और धन 4.5 करोड़ से 13.5 करोड़ की गयी। महादलित में मुषहर जाति के बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र को 30 रुपये प्रतिमाह भत्ता का भुगतान के लिए 9 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। डा॰ मिश्र की सरकार ने 1981–82 के बजट में यह प्रावधान किया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को वही सुविधा मिलेगी जो दलित छात्रों को उपलब्ध है। 1976 में बिहार के आदिवासी बाहुल्य 111 प्रखंडों में जनजाति उप योजना चालू की गयी। 1980–81 में बिहार में दलितों (अनुसूचित जाति) के लिए अंगीभूत योजना प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत कुल योजना उद्व्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उपयोजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ। दलित एवं आदिवासी छात्रों के लिए प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ–साथ प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 4 माध्यमिक विद्यालय और उसमें लड़की के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। उसी क्रम में 1982 में 150 (एक सौ पचास) प्रोजेक्ट हाई स्कूल भी स्थापित गये, जिनमें अनेक बालिका उच्च विद्यालय भी सम्मिलित किये गये थे। बालिकाओं की शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था।

डा॰ मिश्र ने 1994 में ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निदेष के आलोक में यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग–अलग विभाजित किया जाए और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से प्राप्त हो सके और संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। आरक्षित 27 प्रतिशत का लाभ यह वर्गीकरण कर उनकी आबादी के अनुपात में दिया जाए। बिहार के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी सरकार ने बिहार से कोयला एवं अन्य खनिज से प्राप्त हो रही रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मांग की। बिहार की खनिज संपदा में भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् में उन्होंने सवाल उठाया था कि पंचवर्षीय योजना में निवेश एवं योजना सहायता भी बहुत कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय से 61 प्रतिषत की कमी है। इसे पाटने के लिए आंतरिक संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से खनिज की रॉयल्टी का मूल्य निर्धारण किया जाना उचित है। भारत सरकार सहमत नहीं हुई। खनिज स्वामित्व अधिनियम के तहत सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। अबतक रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत ही सेस लगाया जा रहा था जिससे बिहार को 25–30 करोड़ की ही आय हुआ करती थी। बिहार की आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित किया गया जिसके कारण बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500–600 करोड़ होने लगी। आज झारखंड सरकार को इस फार्मूला से हजार करोड़ की आमदनी हो रही है। किन्तु अपने प्रदेष के हित में लिए गए फैसले के कारण केन्द्र सरकार को उनके प्रति नाराजगी उत्पन्न हो गयी। बिहार के हित में उन्होंने दूसरा निर्णय यह लिया कि बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर यह प्रावधान करने का निष्चय किया कि अगर बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद बड़े उद्योग नहीं करेंगे तो राज्य सरकार इन उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। प्रान्त–हित में तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने भारत सरकार को यह दिया था कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टाक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। केन्द्र सरकार से यह मांग की गई कि राज्य सरकार को कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय। चौथी बात थी कि माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा है, क्योंकि बिहार की खनिज संपदा का मूल्य जो बिहार में रहा वही बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। इन चारों मुद्दों को उठाये जाने के कारण केन्द्र सरकार की नाराजगी उनके प्रति बढ़ती गई और कांग्रेस के भीतर इनके विरुद्ध के गुट सूबे के हित की अनदेखी कर कांग्रेस आलाकमान के समक्ष यह मुद्दा उठाते रहे कि वे केन्द्र के विरुद्ध हैं और टकराहट उत्पन्न कर रहे हैं। केन्द्रीय नेतृत्व की नाराजगी का यह प्रमुख मुद्दा बनता गया। अंधकार जितना घना होता है प्रकाश की आवश्यकता उतनी ही तीव्र होती है। आज देश एवं मानव समाज को हिंसा एवं आंतक का जो दंश विवशता के साथ झेलना पड़ रहा है उसमें उग्रवादी तत्वों को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है।

हमने ऊपर वर्णित जिन कार्यों के संपादन के लिये डा॰ मिश्र के नेतृत्व की महत्ता का अनुभव किया है, उन कार्यों को विशाल समुदाय तो लगातार सराहता आ ही रहा है, अन्य बुद्धिजीवियों ने भी अपने लेखों और पुस्तकाकार रूपों में वर्णित किया है। अपनी–अपनी समीक्षाओं में ऐसे निष्पक्ष समीक्षको ने डा॰ मिश्र के व्यक्तित्व में अनेक अनुकरणीय गुण बताये हैं, जिन गुणों से सम्पन्न नेतृत्व की आवश्यकता देश और राज्य को सदा ही रही है, और रहेगी भी। जिन कुछ तथ्यों का उल्लेख हमने डा॰ मिश्र के संक्षिप्त जीवन परिचय में यहाँ किया है, उन तथ्यों के आधार पर, साथ ही अन्य विशिष्ट गुणों और कार्यों के आधार पर कई लेखकों ने अपनी–अपनी पुस्तकों में अपने–अपने ऐसे–ऐसे विचार–मंतव्य व्यक्त किये

हैं, जिनसे डा॰ मिश्र के महान् व्यक्तित्व का सुस्पष्ट ज्ञान होता है। एक पुस्तक अंग्रेजी में जनाब खुर्शीद अनवर अरफी ने **'डा॰ जगन्नाथ मिश्र'** नामक लिखी है। इस पुस्तक के प्रारंभ में एक 'घोषणा' की गयी है, जिसका मात्र अंश उद्धृत किया जाता है :– "This is not merely a book, it is not with the limited objective to project the heart and mind of Dr. Mishra. It envisages far greater purpose. Persons in academic, social and political fields having strong conviction in secularism and who have engaged themselves in the herculean task of fighting the tendencies of fanaticism and communal hatred deserve generous encouragement. The book is a step in that direction, keeping in mind the larger interest of the unity and integrity of the great nation."

इस किताब का प्रकाशन 1993 में हुआ था। तबसे आजतक डा॰ मिश्र निरंतर अपने कर्त्तव्यों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे हैं। बहुकोणीय दृष्टि से सोचने और कार्य–योजना से लेकर कार्यान्वयन करने के लिये युवाकाल से ही प्रशंसित–प्रसिद्ध डा॰ मिश्र के स्वतःसंचालित नेतृत्व में अनेक तत्त्व मिलते हैं। 6 सितम्बर, 2012 के दैनिक अंग्रेजी पत्र– The Times of India के पृष्ठ 12 पर, लेखक का अंग्रेजी निबंध के अंदर प्रकाशित है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं, जिनके आधार पर डा॰ मिश्र के बहु–आयामी व्यक्तित्व के गुणों को देखा–परखा–समझा जा सकता हैः– "Recent studies in psychoanalytical work on leadership throw light on our understanding of authority and power. On the one hand it reveals that people have a natural urge to find meaning and purpose of their lives. They are more self-driven, proactive and volunteer to take initiatives to help themselves, their families, neighbourhoods, communities and organisations to attain their goal. In these circumstances leadership is largely about facilitating the motivation in people while systems and norms function more as 'enablers'. Further, people prefer to 'think' for themselves, they like to contribute with deep involvement which is so precious to sustain and improve performance."